न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
307 / 2025	03.06.2025	07/4/2026

उनवान

1. श्री उदा पिता भैरू कुमावत मृतक के बजाय :–
   1/1 – नारायण पिता उदा कुमावत, नि0 केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
   1/2 – सीता पुत्री उदा कुमावत, निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
   1/3 – रतनी पुत्री उदा कुमावत, निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
   1/4 – कैलाशी पुत्री उदा कुमावत, निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
   1/5 – केसी पुत्री उदा कुमावत, निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
   1/6 – नन्दु देवी पत्नी उदा कुमावत, नि0 केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. ज्यानी पत्नी स्व0 नारू कुमावत, निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. प्रकाश पुत्र स्व0 नारू कुमावत, निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. मीना पुत्री स्व0 नारू कुमावत, निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. धन्ना पिता होक्मा कुमावत, निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. सोहन लाल पुत्र धन्ना कुमावत, निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. किशोर पुत्र जीवण कुमावत, निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. नानूराम पिता जीवण कुमावत, निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

—— विपक्षीगण

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री किशनलाल कुमावत उपस्थित।**
2. **अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री कन्हैयालाल सेन।**
3. **अप्रार्थी संख्या 03 व 04 उपस्थित नहीं।**
4. **अप्रार्थी संख्या 05 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।**

–:: निर्णय ::–

निर्णय दिनांक 07/4/26

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री किशन लाल कुमावत द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का सैथुरिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 507, 508, 509 कुल किता 03 कुल रकबा 0.2791 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल सेन द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की और से अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल सेन द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने जिस भूमि की पत्थरगढी की जाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व कृषि भूमि नहीं होकर आवासीय जायदाद/बाडा है जो कि राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी मे आराजी नम्बर 507, 508, 509 है जिसमें आराजी नंबर 508 की किस्म गे०मू० बाडा है जो कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि नहीं होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आवासीय

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा
07/4/26

जायदाद बाडे होकर मौके पर बाडे बना रखे है जिस पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अपने–अपने कब्जे व हक हिस्से अनुसार उक्त जायदादों बाडों का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। उक्त आवासीय जायदादे बाडे व अन्य सभी कृषि भूमियों जो कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की शामलाती कृषि भूमिया थी जो कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के पूर्वज माणकचन्द जी कुमावत के नाम पर दर्ज थी व माणकचन्द की मृत्यू होने के पश्चात उक्त भूमिया प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के नाम पर विरासत से शामलाती रूप से दर्ज की गई किन्तु खाता शामलाती था जिससे माणकचन्द के दोनों पुत्र गोमा व होक्मा ने आपसी सहमती से विभाजन कर अपने खाते अलग–अलग रूप से दर्ज करवा लिया जिससे गोमा की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि उनके वारीस उदा व धन्ना में निहित हो गई व उदा की मृत्यू के पश्चात् उक्त भूमि नंदू नारायण सीता रतनी कैलाशी केशी में निहित हो गई व नारू की मृत्यू होने के पश्चात उक्त भूमि उनके वारिस ज्यानी मीना प्रकाश में निहित हो गई जो कि उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण है व इसी प्रकार होक्मा की मृत्यू होने के पश्चात् उनकी विरासत उनके पुत्र धन्ना व जीवण के पक्ष में खोली गई जिससे हौक्मा का हक हिस्सा उनके वारीसान धन्ना व जीवण में निहित हो गया व धन्ना वर्तमान में जिवित है व जीवण की मृत्यू हो गई जिससे उनकी वारीस उनके पुत्र किशोर व नानूराम है जो कि उक्त प्रार्थना पत्र मे विपक्षीगण है किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त जायदाद बाडा प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज रह जाने से प्रतिवादीगण वादी को बेदखल कर रहे जो न्यायोचित नही है जबकि उक्त उक्त जायदाद/बाडा व कृषि भूमि शामलाती थी जिनका विभाजन पूर्व मे ही हो गया जिससे प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अपने–अपने हक हिस्से पर काबीज होकर कृषि कार्य कर रहे है ओर आराजी नम्बर 507, 508, 509 जो कि आवासीय बाडे है जो कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अपने–अपने कब्जे अनुसार बाडो पर निर्माण करवा कर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र पत्थरगढी कराये जाने का प्रस्तुत किया जो कि आबादी भूमि के बाबत् प्रस्तुत किया जो कि उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय आप को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

विपक्षीगण द्वारा आराजी नम्बर 508 जिसकी राजस्व जमांबदी अनुसार किस्म गे०मु० बाडा है जिस पर विपक्षीगण ने चारो तरफ पत्थरों की दीवारों का निर्माण करवा कर उक्त बाडे में टीन शेड लगा रखे हैं जिसके कुछ हिस्से पर विपक्षीगण द्वारा पत्थर की दीवार का निर्माण कर रहे तो प्रार्थीगण ने मोके पर आकर लड़ाई किया जिस पर विपक्षी संख्या 02 सोहन द्वारा दिनांक 26/05/2025 को थाना कारोई में लडाई झगडा कर मारपीट करने की रिपोर्ट पेश कि जिस पर थाना कारोई द्वारा जांच व तहकीकात कर प्रार्थीगण / मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर धारा 126–170 बी०एन०एस०एस० के तहत कार्यवाही कर प्रार्थीगण/ मुल्जिमान प्रकाश पिता नारू कुमावत को गिरफ्तार करके न्यायालय तहसीलदार एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट भीलवाडा के यहां पेंश किया गया जिस पर तहसीलदार भीलवाडा द्वारा 10,000 अक्षरे दस हजार रूपये की जमानत मुचलके पर 06 माह तक पाबन्द किया जो कि उक्त फौजदारी कार्यवाही विचाराधीन है तथा प्रार्थीगण को सभी तथ्यों की जानकारी होने के बावजुद न्यायालय आप के समक्ष मनगढ़त तथ्यों को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज होने योग्य है। मौके पर कृषि भूमि नहीं होकर आवासीय जायदाद है जिसका सीमांकन किया जाने का क्षेत्राधिकार न्यायालय आप को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज होने योग्य है। प्रार्थीगण ने जिस भूमि की पत्थरगढी की जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कृषि भूमि नहीं होकर आवासीय जायदाद बाडे बने होकर मौके पर आवासीय रूप से उपयोग–उपभोग में आ रहे है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य उक्त आवासीय जायदाद जिसके पडोस पूर्व में :– प्रकाश पिता नारू कुमावत का बाड़ा जो कि उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण संख्या 03 तीन है व पश्चिम में नानूराम पिता जीवण जी कुमावत का बाडा, उत्तर :– सरकारी आम रास्ता, दक्षिण मे आम रास्ता व सुरेश पिता चुना कुमावत के बाडे व कृषि भूमि स्थित है जिसके बाबत् मोके पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आपस मे विवाद व लडाई झगडा होने पर विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थीगण प्रकाश, ज्यानी, मीना, नारायण, श्रीमति नंदू देवी के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय पश्चिम के यहां वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व 2 जा०दि० व धारा 151 जा०दि० वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा का वादपत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जिसके प्रकरण संख्या 122/2025 ई०दी वादपत्र व 111/2025 मु०दी प्रार्थना पत्र है जो

कि विचाराधिन होकर आगामी तारीख पेशी 13/10/2025 की नियत है इसलिए जब तक उक्त विवादित जायदाद बाड़ों का निस्तारण सम्बन्धित न्यायालय द्वारा नही किया जावें तब तक उक्त कार्यवाही को रोका जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण का जवाब रेकॉर्ड पर लिया जाकर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्षकरात् अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस लिखित बहस के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का सैथुरिया के आराजी नम्बर 508 किस्म गे0मु0 बाडा अंकित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (24) में भूमि की परिभाषा व्याख्यायित है जिसके अनुसार गै.मु. बाड़ा/खलिहान कृषि भूमि होती है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नंबर 508 रकबा 0.0379 व भूमि गै.मु. बाड़ा होने से न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में वादग्रस्त भूमि आराजी नंबर 508 रकबा 0.0379 है0 किस्म गै.मु. बाड़ा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 05(24) के अनुसार खातेदारी भूमि होती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आराजी संख्या 507, 508 व 509 का सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम केसपुरा पटवार हल्का सैथुरिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 507 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, आराजी नंबर 508 रकबा 0.0379 है0, आराजी नम्बर 509 रकबा 0.2023 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थीगण को सम्यक् रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...07/01...2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नंबर से कम हो।

7/01/26

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा